भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1135
(जिसका उत्तर सोमवार, 02 दिसंबर, 2024/11 अग्रहायण, 1946(शक) को दिया जाना है)

अनुसूचित जनजातियों को लिए कर छूट को सरल बनाने के लिए पहल

1135. **डॉ. रिकी ए. जे. सिंगकोण:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या अनुसूचित क्षेत्रों, विशेषकर मेघालय में रहने वाली सभी अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए कर छूट की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई पहल की गई है जहां अनुसूचित जनजातियों को वर्तमान में आयकर अधिनियम की धारा 10(26) के अंतर्गत वार्षिक रूप से कर छूट प्रमाणपत्र दाखिल करने की आवश्यकता होती है जिससे सभी जनजातीय निवासियों को अनुचित कठिनाई हो रही है;
(ख) क्या वार्षिक कर छूट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में चुनौतियों का सामना कर रहे अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों पर पड़ने वाले प्रक्रियात्मक बोझ को कम करने के लिए किन्हीं विशिष्ट कदमों पर विचार किया जा रहा है; और
(ग) क्या सरकार मेघालय में अनुसूचित जनजातियों को कर छूट प्रदान करने के लिए अधिक स्थायी या स्वचालित प्रणाली पर विचार कर रही है, जैसा कि नागालैंड, मिजोरम जैसे अन्य राज्यों में उपलब्ध है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग)
आयकर अधिनियम, 1961(अधिनियम) की धारा 10 के खंड (26) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि इसमें निर्दिष्ट किसी क्षेत्र या राज्य में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य की किसी भी आय को, पूर्वोक्त क्षेत्रों या राज्यों में किसी भी स्त्रोत से या लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में, किसी भी व्यक्ति की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया गया जाएगा। अधिनियम की धारा 10 के खंड (26) के तहत छूट का दावा करने के लिए किसी भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

इस संबंध में कोई और प्रस्ताव नहीं है।

*****